संख्याः 1330/33–3–2016–10 जी0आई0/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति',
ग्राम पंचायत विकास योजना उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी/ सदस्य सचिव
'जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति',
ग्राम पंचायत विकास योजना उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2015

विषय– ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण आयोजन के पश्चात् समस्त ग्राम पंचायतों की योजनाएं तैयार करने एवं उनकों प्लान–प्लस पर अपलोड किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्याः 2618/33–3–2015–10 जीआई /2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 एवं विभाग के आदेश संख्या– 3215/33–3–2015–10 जी.आई. /2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा **ग्राम पंचायत विकास योजना** तैयार किये जाने के निर्देश निर्गत करते हुए यह अपेक्षा की गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक समस्त ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार कर ली जाएगी, जिसके पश्चात् उन्हें भारत सरकार द्वारा विकसित साफ्टवेयर प्लान–प्लस पर अपलोड किया जा सकेगा और पंचायतों द्वारा उपलब्ध संसाधनों को बेहतर प्रबंधन कर सुनियोजित ढ़ग से कार्य प्रारम्भ किए जा सकेगें।

उक्त निर्गत शासनादेशों के पश्चात् राज्य स्तर से योजना के सफल कियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्य राज्य स्तर पर सम्पादित किए जा चुके है–

1. राज्य स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं जनपदों को योजना सम्बंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 21 जनवरी से 07 फरवरी 2016 के मध्य 6 बैचों में प्रशिक्षण आयोजित कर 75 जनपदों के 275 प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनरों के रूप में प्रशिक्षत् किया गया।(संलग्नक–1, प्रशिक्षित् मास्टर ट्रेनरों का विवरण)
2. जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण एवं बैठकों के आयोजन हेतु पत्र सं0 4/92/2015/4/379/2015, दिनांक 17 मार्च 2016 से समस्त जनपदों को, धनराशि प्रेषण की सूचना प्रदान करते हुए 75 जनपदों को वरणवार कमशः 17 मार्च 2016, 01 अप्रैल 2016 एवं 5 मई 2016 से धनराशि हस्तान्तिरत की गई। विदित है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही पंचायतों को योजना तैयार करने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा विभिन्न स्तरीय समूहों के सहयोग से अपने ग्राम

पंचायत की योजना तैयार की जानी है। (संलग्नक–2, छायाप्रति 17 मार्च 2016 का पत्र)

3. योजना कियान्वयन हेतु दिनांक 26 फरवरी 2016 को श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में समस्त जिलाधिकारियों से विडियों कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।
4. आयोजित विडियों कॉन्फ्रसिंग में कतिपय जनपदों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन में खण्ड विकास अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को सम्मिलित किए जाने एवं इस सम्बंध में स्पष्ट दिशा–निर्देशों की मांग के कम में दिनांक 625/–33–3–2016–10जी0आई0/2015, दिनांक 09 मार्च 2016 एवं संशोधित् आदेश सं0 661/33–3–2016–10 जी0आई0/2015, दिनांक 14 मार्च 2016 से विकास खण्ड स्तर पर योजना को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के दृष्टिगत् 'विकास खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति' का गठन करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को अध्यक्ष एवं ए0डी0ओ0(पं0) को सदस्य सचिव नामित कर उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को इस आशय के साथ स्पष्ट किया गया था कि उनके स्तर से योजना का उचित अनुश्रवण किया जा सकेगा।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा पुनः पत्र सं0 4/94/2015–4/426/2015, लखनऊ, दिनांक 18 मार्च 2016 से एक प्रोसेस डाक्यूमेंट निर्गत किया गया जिसमें चरणबद्व रूप से गतिविधिवार, ग्राम पंचायत स्तर पर वातावरण निर्माण से ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन एवं योजना तैयार किए जाने हेतु अनुमोदन के पश्चात् अंतिम रूप (फाइनल) से योजना तैयार करने तक प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट करते हुए निर्देशित् किया गया है।
6. दिनांक 14–15 अप्रैल 2016 को समस्त जनपद के जिला परियोजना प्रबंधकों का प्लान–प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकम पंचायती राज निदेशालय में, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित कराया गया।
7. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा पत्र सं0 4/132/2016–4/426/2015, लखनऊ, दिनांक 06 मई 2016 से गतिविधियों के विस्तृत अनुश्रवण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर उसे मासान्त तक प्लान–प्लस पर अपलोड किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के कम में बिन्दुवार प्रगति के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

- ग्राम पंचायत विकास योजना एक योजना मात्र नही वरन् सामुदायिक भागीदारी हेतु समयबद्व प्रकिया है जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग से वार्षिक एवं दीर्घ कालिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अपने विकास की योजना, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप तैयार की जानी है।
- समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले समस्त कार्यो को सम्मिलित करते हुए, अपनी ग्राम पंचायत की विकास योजना को तैयार किया जाना है। जिसमें विभिन्न स्तर

की समितियों एवं रिसोर्स ग्रुप को आपेक्षित सहयोग प्रदान करना है ताकि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में योजना पर समुदाय से चर्चा के उपरान्त विभिन्न स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेते हुए उसको अंतिम रूप दिया जा सके।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत की योजना को प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना, एक्शन सॉफ्ट पर कार्यो की प्रगति अंकित करते हुए प्रिया–सॉफ्ट पर उसका वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव एवं अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य चरण है। इस सम्बंध में विस्तृत निर्देश दिनांक 29 सितम्बर एवं 11 दिसम्बर 2015 के शासनादेशों से प्रेषित् किए जा चुके है।
- चूंकि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के फलरूवरूप ग्राम पंचायतें 14 वें वित्त आयोग की धनराशि को व्यय करने से पूर्व अपने ग्राम पंचायत की विकास योजना को तैयार करने एवं उसको प्लान–प्लस में अपलोड किए जाने के लिए बाध्य है। अतः आवश्यक है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत में संचालित समस्त योजनाओं को सम्मिलित कर लिया जाए।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि विस्तृत निर्देशों के पश्चात् भी ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार नही किया जा रहा है। यहॉ तक कि जनपदों को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि भी जनपदों द्वारा उपयोग में नही लाई जा रही है।

अतः उक्त बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए पुनः अनुरोध है कि समस्त जनपद प्रशिक्षण धनराशि का उपभोग करते हुए **विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन मई माह में पूर्ण कराए एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजना तैयार किए जाने हेतु ग्राम पंचायतों को अपेक्षित सहयोग देते हुए 15 जून 2016 तक समस्त ग्राम पंचायतों की विकास योजना तैयार कराते हुए प्लान–प्लस पर अपलोड कराना सुनिश्चित्** करें।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

12. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
17. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
18. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0, इस आशय के साथ कि स्वयं के स्तर पर अनुश्रवण कराते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना सुनिश्चित् करे।
21. समस्त खण्ड विकास अधिकारी/ अध्यक्ष–विकास खण्ड स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति, उ0प्र0।
22. समस्त ए0डी0ओ0(पं0), उ0प्र0।

आज्ञा से

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।